Non-implementation of CAT judgement

2224. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU:
SHRIMATI MIRA DAS:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 3186 given in the Rajya Sabha on the th September, 1990 and state:

(a) what are the grounds for non-implementing the judgements of the Central Administrative Tribunals as shown against serial number 10, 11 and 13 of the statement attached to above mentioned question, as also the grounds on which appeals have been filed in the Supreme Court; and

(b) what steps Government have taken for the early disposal of the matters pending for a long time in the Supreme Court?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) and (b) In T. R. Mohanty's case (Ittms 10 & 11 of the statement attached to answer to Unstarred Question No. 3186 of 4-9-90) the Special Leave Petition was filed against the order of the CAT, Calcutta Bench dated 28-11-88 as it was felt that the Tribunal had failed to hold that the providing of reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in promotions was based on constitutional mandate and as such had to be adhered to and further that the Tribunal did not appreciate that the implementation of the order would cause disturbance in the prevailing seniority list. The relevant provision in the ISS Rules was also amended. The Honable Supreme Court has granted Special Leave and while doing so has ordered that promotion of any person during the pendency of the Civil Appeal should be subject to the result of the Appeal. The Civil Appeal is pending.

In Pratap Narain's case (Item 13 of the statement attached to answer to Unstarred question No. 3186 of 4-9-90) the Special Leave Petition was filed against the order of the CAT, Principal Bench dated 8-8-89 as it was felt that the Tribunal had failed to appreciate that the decision of the Hon'ble Supreme Court in Narendra Chadha's case gave the benefit of continuous officiation towards seniority irrespective of the fact whether the incumbents were holding cadre or ex-cadre posts and that the Tribunal has erred in holding that the expression 'Gradee IV posts' used in the direction of the Supreme Court in the judgement in Narendra Chadha's case was not used in a generic sense. The aggrieved promotee officers have also filed a Special Leave Petition. After considering the Government's request for early hearing or permission to make promotions on the basis of the impugned seniority list subject to final decision of the Court, the Supreme Court has, through order dated 27-8-91, granted Special Leave and also allowed Government to make promotions on the basis of the seniority list operated prior to the judgement of the Tribunal, on purel ad hoc basis and subject to the result of the Civil Appeals. The Court has further ordered that the Civil Appeals should be listed for hearing subject to part heard matters in the last week of February, 1992.

परती भूमि पर खेती करने के लिए गरीब भूमिहीन मजदूरों और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय सहायता

2225. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार परती भूमि में खेती करने के लिए गरीब भूमिहीन मजदूरों तथा सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भूमिहीन गरीब लोगों की सहायता के लिए "लिफ्टा" योजना को बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) परती भूमि में खेती करने के लिए गरीब भूमिहीन मजदूरों तथा सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की भारत सरकार की कोई विशिष्ट योजना नहीं है । तथापि, अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आबंटितियों, भूदान और सरकारी बंजर भूमि के अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के आबंटितियों और उन अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग, जिनकी हस्तांतरित भूमि उन्हें वापिस दिला दी गई है, को 2500/– रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता देने की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है । इस योजना के ब्यौरे विवरण I में दिए गए हैं ।

(ग) वृक्ष पट्टा योजना का ब्यौरा विवरण II में दिया गया है ।

विवरण

अधिकतम सीमा से फालतू भूमि, भूदान और सरकारी बंजर भूमि के आबंटितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु केंद्रीय प्रायोजित योजना

1. अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आबंटितियों को वित्तीय सहायता देना आवश्यक समझा गया था क्योंकि इन आबंटितियों के पास आमतौर पर इन्हें दिए गए जमीन के छोटे से टुकड़े के सिवाय और कोई सम्पत्ति-आधार नहीं है । आबंटित की गई अधिकांश जमीन घटिया किस्म की होती है इसलिए उसे खेती करने योग्य बनाने के लिए उसका काफी विकास करने की आवश्यकता होती है । ऐसी भूमि के आबंटितियों को, उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, उन्हें दी गई भूमि पर ही निर्भर रहना पड़ता है और अन्य साधनों से आय सृजन के दूसरे विकल्पों से वंचित रहना पड़ता है । आबंटिति को गरीबी के इस गम्भीर चंगुल से निकालने और इन आरम्भिक कठिनाइयों में उसकी मदद करने के लिए उसकी भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए पर्याप्त सहायता की आवश्यकता है । इस उद्देश्य से वर्ष 1975–76 में एक केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई थी । वर्ष 1988–89 के दौरान योजना के लाभ सरकारी/भूदान भूमि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आबंटितियों को भी दिए गए थे । बाद में, 1990–91 के दौरान योजना के लाभ उन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आबंटितियों को भी दिए जाने लगे जिनकी भूमि को एक अप्रैल, 1985 को अथवा उसके बाद वापिस दिलाया गया है ।

2. आरम्भ में, सहायता का स्तर 1000/– रुपए प्रति हैक्टेयर था । इसे वर्ष 1984–85 में बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति हैक्टेयर कर दिया गया था ।

3. इस सहायता का इस्तेमाल निवेश खरीदने, साधारण भूमि विकास कार्य करने और यहां तक कि तत्काल स्वरूप की खपत जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है । यह योजना इस समय राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में राजस्व विभागों की मार्फत कार्यान्वित की जा रही है ।

4. सूचना देना :

राज्य सरकारों को समय-समय पर योजना के कार्यान्वयन, उपलब्ध कराई गई निधियों के उपयोग, सहायता किए गए क्षेत्र, लाभार्थियों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या के पूरे ब्यौरे भारत सरकार को देने चाहिए । राज्य सरकारों को ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय-समय पर सलाह दी जाती है ।

5. वित्तीय परिव्यय :

योजना की निधियों को केंद्र और राज्य द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है । भारत सरकार ने योजना के आरम्भ होने (1975–76) से लेकर वर्ष 1990–91 तक 52.66 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की है । इसमें से राज्यों द्वारा 43.5 करोड़ रुपए इस्तेमाल कर लिए जाने की सूचना मिली है ।

6. सातवीं योजना अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत 15.60 करोड रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया था ।

विवरण II

वृक्ष पट्टा योजना

भारत सरकार की वृक्ष पट्टा योजना 1986 में सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में इस प्रयोजन हेतु गठित एक समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित है ।

योजना के मूल तत्व

वृक्ष पट्टा योजना में आमतौर पर स्थानीय भूमिहीन ग्रामीण गरीब जिनको समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है को पट्टा/लीज प्रदान करने की परिकल्पना की गई है जिसमें 50 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा 30 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है । यह योजना सरकारी/पंचायतीस/समुदायिक बंजर भूमि, गृदान भूमि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर सीधा से फालतू जमि पर लागू होती है लेकिन इसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत कवर की गई भूमि शामिल नहीं है । योजना के अंतगत सबसे पहले वृक्ष उगाने का एक परमिट जारी किया जाता है । यदि वृक्ष संतोषजनक रूप से पनपता है तो दो वर्षों के बाद वृक्ष पट्टा जारी किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को वृक्ष उगाने के लिए निर्धारित की गई भूमि पर किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है । इसके तहत लाभार्थी को निर्धारित भूमि पर रोपे गए और उगाए गए वृक्ष और वृक्ष पर आधारित कार्य-कलापों के लिए भोगाधिकार प्रदान किया जाता है। मुख्य बल ईंधन की लकडी, चारा तथा फलदार वृक्ष उगाने पर दिया जाता है । मुख्य वृक्ष पट्टे का वृक्षों के भोगाधिकार के संबध में एक कानूनी दर्जा होगा । ये अधिकार इसके बारे में दिए जाते हैं :—

(1) सूखी शाखाओं, शाखाओं की टहनियों तथा उनकी कतरनों को एकत्र करना ।

(2) फलों, फूलों, बीज, पत्तों, लाख (रेजिन आदि) जैसे उत्पादों का सचयन ।

(3) मधुमखी पालना, मोगा अथवा टसर, रेशम के कीडे पालना, लाख उत्पादन आदि जैसे वृक्ष पर आधारित कार्यकलाप करना ।

(4) पेड़ों की गुल्म/ठूंठ ।

योजना की वर्तमान स्थिति

बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, राज्यों ने भारत सरकार द्वारा परिचालित मॉडल के आधार पर वृक्ष पट्टा योजनायें शुरू की हैं । आन्ध्र प्रदेश राज्य की अपनी योजना है जिसका नाम "परिवार की सहायता से" निम्न कोटि के वनों का वनारोपण" है जो कि मॉडल वृक्ष पट्टा योजना का एक संशोधित रूप है । गुजरात, कर्नाटक, तथा राजस्थान राज्यों ने भूमि, पट्टा योजनायें शुरू की हैं जिसके अंतर्गत लाभार्थी को कुछेक वर्षों के लिए भूमि पट्टे पर दी जाती है ।

संघशासित क्षेत्र पांडिचेरी की भी एक वृक्ष पट्टा योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मॉडल वृक्ष पट्टा योजना से पूर्व शुरू किया गया था ।

12 राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल, तथा 5 संघशासित क्षेत्रों अर्थात् चंडीगढ, दादरा व नगर हवेली, दिल्ली, दमन व दीव तथा लक्षद्वीप ने मुख्यतः सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की आशंका होने तथा व्यक्तिगत स्वामित्व देने की बजाए सामुदायिक स्वामित्व को महत्व देने आदि के कारण अभी तक वृक्ष पट्टा योजना को कार्यान्वित नहीं किया है ।

पंजाब राज्य तथा संघशासित क्षेत्र अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह ने सूचित

किया है कि वृक्ष पट्टा योजना के माध्यम से वनरोपण का मामला विचाराधीन है। उड़ीसा में, वृक्ष पट्टा योजना हाल ही में शुरू हुई है लेकिन अभी तक राज्य सरकार द्वारा कोई ब्यौरा नहीं भेजा गया है।

Providing safe drinking water to problem villages

2226. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether all the problem villages which were identitfied through a survey conducted in 1985 have since been provided with safe drinking water supply;

(b) if not, the reasons therefor and the Problem Villages which are yet to be provided with safe drinking water supply;

(c) whether Government propose to carry out a fresh survey to identify the Problem Villages which are without a safe drinking water source within 1.6 Km. distance;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) No, Sir.

(b) As at the end of October, 1991, 4953 'No Source' problem villages could not be provided safe drinking water facilities due to limited working season in some states, difficult terrain, physical and financial constraints. All the remaining 'No Source' problem villages will be provided safe drinking water by 31-3-93.

(c) Yes, Sir.

(d) State Governments/Union Territory Administrations have been requested to conduct a survey on status of drinking water in rural habitations covering all aspects of drinking water supply in the rural areas, 'No Source' habitations, partially covered villages/habitations, quality of drinking water, requirement of drinking water for cattle etc.

(e) Does not arise.

2227. [*Transferred to the 17th December,* 1991]

Estimate of total surplus land

2228. SHRI JAGADISH JANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have any estimate of total surplus land in the country;

(b) if so, the State-wise details thereof; and

(c) what steps are taken to distribute the surplus land among the landless people?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) According to information received from the States 72.49 lakh acres of land have been declared surplus till September, 1991. State-wise information is given in the annexed Statement (*See* below)

(c) The distribution of surplus land free from litigation and fit for distribution otherwise is made by the State Governments, amongst the eligible rural poor, as per the priorities drawn up by them.

Government of India has laid down policy guidelines and are monitoring the progress of surplus land distribution in the States. A consensus was arrived at during the conference of the Chief Ministers on October 4-5, 1991 at New Delhi that ceiling surplus land which have been taken possession of by the State Government should be distributed among eligible rural poor by 31st March, 1992. Prime Minister has also addressed the concerned Chief Ministers and Governors.